तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 24/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
02.8.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी विक्रम कुमार त्रिवेदी पुत्र गोविन्द जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सांई बाबा पान सेन्टर, बस स्टेण्ड़ के सामने, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत द्वारा दिनांक 17.1.2023 को फर्म साई बाबा पान सेन्टर, बस स्टेण्ड के सामने, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रम कुमार त्रिवेदी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1979 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./100/Act/2023/143 दिनांक 31.1.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी ने प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 31.7.2024 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को दिनांक 31.7.2024 को ही सुना गया, जिसने यह व्यक्त किया कि यह उसका प्रथम अपराध है व भविष्य में मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय नही करेगा। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 17.1.2023 को फर्म सांई बाबा पान सेन्टर, बस स्टेण्ड़ के पास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान फर्म सांई बाबा पान सेन्टर, बस स्टेण्ड़ के पास, सिरोही की दुकान में आम जन के बिक्री हेतु 4 कट्टों में रखे हुये खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्राण्ड) के पैक्ड पाउचों में मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्राण्ड) के 500 ग्राम पैक्ड पाउचों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय किये एवं खरीदशुदा पान मसाला (तानसेन ब्राण्ड) के चार भाग करके चार पैकेट बनाये एवं श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नियमानुसार लेबल तैयार कर इन लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता विक्रम कुमार त्रिवेदी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं श्री राजेन्द्र कुमार ......लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:57:39 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.24/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा उक्त चारों नमूना भागों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाकर चारों नमूना शीशीयों/डिब्बों को अलग अलग कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् चारों सीलबन्द नमूनों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रम कुमार त्रिवेदी एवं गवाह तथा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.01.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 17.1.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सांई बाबा पान सेन्टर, बस स्टेण्ड़ के सामने, सिरोही में प्रतिवादी विक्रम कुमार त्रिवेदी से खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1979 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./100/Act/2023/143 दिनांक 31.1.2023 में खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी विक्रम कुमार त्रिवेदी ने उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी विक्रम कुमार त्रिवेदी पुत्र गोविन्द जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सांई बाबा पान सेन्टर, बस स्टेण्ड के सामने, सिरोही द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) पान मसाला (तानसेन ब्राण्ड) ....लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:57:39 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.24/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी विक्रम कुमार त्रिवेदी, अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप (misbranded) खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी विक्रम कुमार त्रिवेदी पुत्र गोविन्द जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सांई बाबा पान सेन्टर, बस स्टेण्ड़ के सामने, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी विक्रम कुमार त्रिवेदी पुत्र गोविन्द जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म सांई बाबा पान सेन्टर, बस स्टेण्ड़ के पास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 03.9.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला कलक्टर

सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:57:39 IST
Reason: SelfAttested